न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

पीठासीन अधिकारी : श्री गोपाल परिहार RAS

राजस्व मूल वाद संख्या :– 13/2017, (112/2011)

वादीगण :– **केवलराम के कायम मुकाम वगैराह**

1/1. श्रीमती राधा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री केवलराम जी,

1/2. श्री सोहनलाल पुत्र स्वर्गीय श्री केवलराम जी,

1/3. श्री राजाराम पुत्र श्री स्वर्गीय श्री केवलराम जी,
समस्त जातियान्–सैन (नाई), निवासीगण–146, जाटों का बास, ग्राम बोरानाड़ा, तहसील–लूणी, जिला–जोधपुर।

1/4. श्रीमती गुड्डी देवी पत्नी श्री बालुराम जी, पुत्री स्वर्गीय श्री केवलराम जी, जाति–सैन (नाई), निवासी–चार सुथार दुकान के पीछे, बासनी, तहसील व जिला–जोधपुर।

1/5. श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री राजुराम जी, पुत्री स्वर्गीय श्री केवलराम जी, जाति–सैन (नाई), निवासी–श्रमिकपुरा, तहसील व जिला–जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

3. बंशीलाल पुत्र स्वर्गीय श्री रामचन्द्र, जाति–सैन (नाई), निवासी–ग्राम बोरानाडा, तहसील व जिला–जोधपुर।

4. छगनलाल पुत्र स्वर्गीय श्री रामचन्द्र के कायम मुकाम :–

2/1. श्रीमती मोहनी देवी पत्नी श्री छगनलाल जी, जाति–सैन, निवसी–बोरानाड़ा, तहसील लूणी जिला–जोधपुर।

2/2. श्रवण पुत्र श्री छगनलाल जी, जाति–सैन, निवासी–बोरानाड़ा, तहसील लूणी जिला–जोधपुर।

2/3. श्रीमती इम्मू पुत्री श्री छगनलाल जी, एवं पत्नी श्री लक्ष्मणराम, जाति–सैन, निवासी–कांकेलावा, तहसील व जिला–जोधपुर।

2/4. कुमारी किरण पुत्री स्वर्गीय श्री नेमाराम एवं पौत्री श्री छगनलाल जी, जाति–सैन, निवासी–बोरानाड़ा, तहसील लूणी, जिला–जोधपुर।

2/5. कुमारी इलायची पुत्र स्व. श्री नेमाराम एवं पौत्री श्री छगनलाल जी, जाति–सैन, निवासी–बोरानाड़ा, तहसील लूणी जिला–जोधपुर।

2/6. महिपाल पुत्र स्वर्गीय श्री नेमाराम एवं पौत्र श्री छगनलाल जी, जाति–सैन, निवासी–बोरानाड़ा, तहसील लूणी जिला–जोधपुर।

2/7. कुमारी धापू देवी पुत्री स्वर्गीय श्री नेमाराम एवं पौत्री श्री छगनलाल जी, जाति–सैन, निवासी–बोरानाड़ा, तहसील लूणी जिला–जोधपुर।

2/8. कुमारी रिन्कू पुत्री स्वर्गीय श्री नेमाराम एवं पौत्री श्री छगनलाल जी, जाति–सैन, निवासी–बोरानाड़ा, तहसील लूणी, जिला–जोधपुर।

2/9. कुमारी साक्षी पुत्री स्वर्गीय श्री नेमाराम एंव पौत्री श्री छगनलाल जी, जाति–सैन, निवासी– बोरानाड़ा, तहसील लूणी, जिला–जोधपुर। प्रतिवादी संख्या–2/6 से प्रतिवादी संख्या–2/9 नाबालिक जरिय वलिया कुदरती प्रतिवादी संख्या–2/4 बहन कुमारी किरण पुत्री स्वर्गीय श्री नेमाराम जी पौत्री श्री छगनलाल जी, जाति–सैन, निवासी– बोरानाड़ा, तहसील लूणी, जिला–जोधपुर।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

दावा बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा–88, 92–ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

3. वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री बेनाराम पटेल।
4. प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेम कुमार ।

वादीगण केवलराम की ओर से एक दावा बाबत् घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम बोरानाडा, पटवार–क्षेत्र बोरानाड़ा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र, लूणी तहसील–लूणी के खसरा संख्या–271 रकबा–33 बीघा, 01 बिस्वा किस्म बारानी–प्रथम, वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त पैतृक कब्जा काश्त की जमीन आई हुई हैं, जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा है, व प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा हैं। इसी अनुसार पक्षकार काबिज काश्त कर रहे हैं। वादी ने अपने वाद में यह भी कथन है कि विवादग्रस्त जमीन वादी केवलराम के दादा व प्रतिवादी संख्या–01 व 02 के दादा श्री भैराराम के कब्जे एवं काश्त में चली आ रही थी, विवादग्रस्त जमीन पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त हुई हैं। पक्षकारो के सजरा खानदान निम्न प्रकार से कि :–

सजरा खानदान

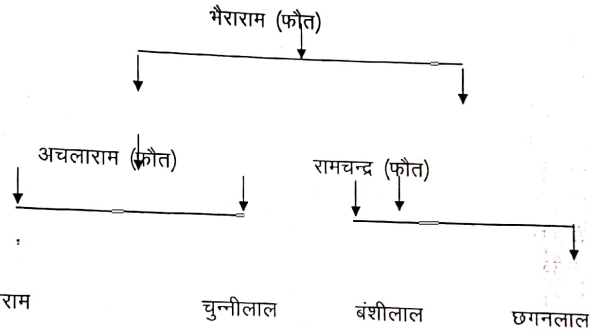

सजरा खानदान से स्पष्ट है कि पक्षकारान् यानि कि एक परिवार के सदस्य है, एवं पूर्व पुरूष भैराराम के वारिसान् हैं। दौरान् दावा वादी केवलराम का देहान्त हो गया व प्रतिवादी संख्या–02 छगनलाल का भी देहान्त हो गया। जिसके कायम मुकाम इस न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड पर लिया गया, वह संशोधित वाद शीर्षक प्रस्तुत किया गया।

यहां पर यह उल्लेख करना भी आवश्यक होगा कि ग्राम बोरानाड़ा पूर्व में जागीरी का गांव था, व जागीदार को हासिल इत्यादि पक्षकार के पूर्व पुरूष भैराराम जी इत्यादि देते थे यानि कि पीढ़ी दर पीढ़ी वक्त बंदौस्त से पूर्व दे रहे थे यानि कि वक्त बंदौबस्त वादी केवलराम के दादा भैराराम जी का देहान्त हो गया था व वादी के पिता अचलाराम का भी वक्त बंदौबस्त से पहले देहान्त हो गया था। वादी केवलराम वक्त बंदौबस्त छोटा था, व अपने काका श्री रामचन्द्र के साथ ही रहता था। इस कारण वादी के पिता एवं दादा की मृत्यु होने के बाद परिवार में कर्ता खानदान रामचन्द्र जी थे, व वादी केवलराम भी अपने काका रामचन्द्र के साथ संयुक्त रूप से रहते थे। पक्षकारों मे आपसी स्नेह एवं प्रेम भाव था। चूँकि स्वर्गीय श्री भैराराम जी के दोनों पुत्रों का परिवार समालाती रहता था, एवं वक्त सैटलमेन्ट वादी केवलराम के दादा जी भैराराम जी व भैराराम के बड़े पुत्र अचलाराम का देहान्त हो गया था व वादी के भाई चुन्नीलाल का भी कम उम्र में ही देहान्त हो गया था व वादी केवलराम प्रतिवादीगण के पिता रामचन्द्र जी के साथ ही

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

रहता था। इस कारण विवादग्रस्त जमीन वादीगण को पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त हुई हैं। प्रतिवादीगण द्वारा कोई खरीद की हुई नही हैं। विवादित जमीन ग्राम बोरानाड़ा में आई हुई है, जो कि जागीरी का गांव था। विवादग्रस्त जमीन का प्रथम बार ही सैटलमेन्ट हुआ था, जो सम्वत् 2011 में हुआ था। वादीगण करने वाद प्रस्तुत कर यह प्रार्थना चाही गई हैं कि ग्राम बोरानाड़ा के खसरा संख्या–271 रकबा–33 बीघा 01 बिस्वा का 1/2 हिस्से का प्रतिवादीगण के साथ सहखातेदार घोषित किया जावे एंव राजस्व रेकर्ड में भी 1/2 हिस्से का प्रतिवादीगण के साथ नाम इन्द्राज किया जावे। इसी अनुसार रेकर्ड दुरूस्त फरमाया जावे व भविष्य में प्रतिवादीगण, वादीगण के कब्जे काश्त के 1/2 हिस्से में दखल अन्दाजी नही करे। इसी आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये व प्रतिवादीगण ने अपना जवाबदावा प्रस्तुत किया, और वादीगण के वाद का खण्डन किया एवं वादीगण के वाद को खारिज करने की प्रार्थना की गई। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा में यह अभिकथन किया कि वादी के मन एवं लालच में आने के कारण झूठा वाद प्रस्तुत किया। वादी ने प्रतिवादीगण को कोई नोटिस इत्यादि नही दिया हैं। अन्तः में वादी के वाद को खारिज करने की प्रार्थना की गई।

वादीगण ने प्रतिवादीगण के जवाबदावा का जवाबबुल जवाब प्रस्तुत किया व जवाबदावा को पूर्ण रूप से खण्डन किया, तत्पश्चात् पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर वादीगण के वाद व प्रतिवादीगण के जवाब दावें के आधार पर निम्नलिखित तनकीयात कायम की गईः–

01. आया वादी वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 271 रकबा 33 बीघा 01 बिस्वा ग्राम बोरानाड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर के 1/2 हिस्से का स्वंय को खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी हैं – जिम्मे वादी
02. आया वादग्रस्त भूमि वादी के दादा भैराराम की खातेदारी की कब्जा काश्तसुदा भूमि होने से वादी का भी इसमें प्रतिवादीगण के साथ सह खातेदारी अधिकार है जिसका इन्द्राज वादी राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी हैं – जिम्मे वादी
03. आया वाद–पत्र में वांछित निषेधाज्ञा प्राप्त करने का वादी अधिकारी हैं – जिम्मे वादी
04. अनुतोष।

उपरोक्त तनकीयात कायम करने के पश्चात् वादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य में पी.डब्ल्यू–01 स्वयं केवलराम, पी.डब्ल्यू–02 रामूराम, पी.डब्ल्यू–03 शिवाराम, पी.डब्ल्यू–04 जीयाराम व दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–01 जमाबन्दी, प्रदर्श–02 से प्रदर्श–04 विवादग्रस्त जमीन की कलर फोटोग्राफस् व प्रदर्श–05 रजिस्टर्ड नोटिस एवं प्रदर्श–06 पोस्टल रसीदें, प्रदर्श–07 आदेश दिनांक 24.09.2012 एवं प्रदर्श–08 अपील आदेश दिनांक 27.03.2015 में प्रदर्शित करवाये गये।

इसी प्रकार प्रतिवादीगण साक्ष्य में डी.डब्ल्यू–01 बंशीलाल, डी.डब्ल्यू–02 श्रवणराम तथा डब्ल्यू–03 राजूराम के प्रस्तुत किये, व दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–ए–01 से प्रदर्श–ए–18 दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये।

वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर कर सम्बन्धित पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण नोटिस बाद तामिल लौटे वादीगण व प्रतिवादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेंज से स्पष्ट है कि वक्त सेटलमेन्ट से ही वादीगण के पूर्वजो के नाम दर्ज नही है तथा तमाम दस्तावेज प्रतिवादीगण के पूर्वजो के नाम से है। वक्त सेटलमेंट से आदिनांक तक राजस्व रेकर्ड मे वादीगण के नाम दर्ज नही है। तथा प्रतिवादीगण के पूर्वजों सहित नाम दर्ज हैं। तथा सम्पूर्ण रेकर्ड का अवलोकन किया गया तथा वादीगण के बयान आदि व साक्ष्य शपथ पत्रों व तनकीयात पर भी विचार किया गया। चूँकि वक्त सेटलमेट से ही वादीगण का राजस्व रेकर्ड मे नाम दर्ज नही होने व पर्याप्त प्रमाण के अभाव

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,

Scanned by CamScanner

मे वादीगण को खातेदारी दिया जाना सम्भव प्रतीत नही होता हैं ऐसी स्थिति मे वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः—वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद सारहीन होने से खारिज किया जाता है डिक्री पर्चा जारी हो पत्रावली फेसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर एंव नम्बर से कम हो।

(गोपाल परिहार, RAS)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

अतः निर्णय आज दिनांक 30/01/23 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया,

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

30/01/23

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

Scanned by CamScanner